


27/11/25

आधिवक्ता अपीलान्त अनु. आधिवक्ता अपीलान्त  
एवं अपीलान्त को न्यायालय समय में रुक  
रुक कर आवाजें लगाई गई। लेकिन  
उनकी मार से कोई उप. नहीं आये।  
इसके अतिरिक्त आधिवक्ता अपीलान्त को स्थान.  
सं. 2 व 4 के सम्मन रीज. पेश करने हेतु

राजस्थान अदालत न्यायाधीश  
पाली

अधिवक्ता अपीलॉट को पूर्व में कई अवसर पर  
डिये गये। किन्तु आदिनांकित वकिल अपीलॉट  
ने सम्मनपेश नहीं डिये। अतः उक्त अपील  
अदालत शजरी, अदालत फैरवी व अदालत तकरील  
में आरिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुक्र  
डोउर नम्बर से कुम डोउर दाखिल दफ्तर है।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली